संख्या–2040 / 14–2–2017–800(198) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 23 अक्टूबर 2017**

विषयः– बदायूं में चन्दौसी–बदायूं मार्ग एस0एच0–43 किमी0 59 पर ग्राम मुड़िया के खसरा संख्या–210 में एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06776हे0 (संशोधित 0.075028 हे0) संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 10 / 2017 / एफसी / 42, दिनांक 07–9–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय प्रमाण पत्रों पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम अंकित कर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षां की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–688 / 11सी / बदायूं / 21110 / 2016 दिनांक 07–9–2017 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 07–9–2017 द्वारा विषयगत प्रकरण में कतिपय प्रमाण पत्रों पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम अंकित कर उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या संलग्नक सहित (एक प्रति) प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथापरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–966(1) / 14–2–2017–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।